

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुचन^० 69/17 तारीख 22 जू 19-6-17

उजवान - राधाकिशन बभाम हरिसिंह वगै^०
घाटरा शेरपुर

दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88


पाटी की ओर ~~की~~ श्री सुवेश चन्द शर्मा हल्कोले ने
दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 पेश
किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दफा दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब
कर दिनांक 26/7/17 को पेश हो।

3502-3509
20/6/17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कशैली)


26.7.17

वादी वकील उप^०। प्रतिवादी नं. 1 से 7 की ओर से श्री
रामभरोही गुप्ता Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी
नं. 8 अजबूद सूचना उप^० नही^० है, उनके विरुद्ध एक पक्षीप
प्राप्तिवाही की जाती है। जब पेश कने दि^० 17.8.17 को
पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

28.9.17

जनरल पेशी से पेश हुई। वकालत उप^०। जब पेश
कने दि^० 12.10.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---------------------------------|---|
| 3 ¹¹ / ₂₃ | <p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।</p> |
| 9 ¹ / ₂₄ | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपपत्रावली उपस्थित। वादी वकील को साइड वादी पेश करने के लिए 200 कॉस्ट ड्रॉफ्ट की है। एवं वाले साइड वादी पेश करने दिनांक 27.2.24 को पेश हो।</p> |
| 2 ² / ₂₄ | <p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।</p> |
| 19 ³ / ₂₄ | <p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।</p> |
| 1-6-24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वादी उमय वादी वकील कोई उपस्थित नहीं वा 2 कावा जिल्हा कोई इसके उपद्वारा भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके वादी का उमय वादी वादी उमय वादी वकील की भाडम पैरपी में बगैरज किया जाता है। पत्रावली फंशलकुत्रा दिएक नम्बर से कम कर डाखिल डफर है।</p> |